न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :— 30 / 2017 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,92(क) व 188 रा0टि0एक्ट

श्रीमती चांदी पुत्री चतुर्भुज पत्नी बरदू जी कुमावत आयु वयस्क निवासी— केरिया हाल मुकाम हुणा का खेड़ा (गोरदा) तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज0)

——वादीया

बनाम

1. श्री रतन आत्मज श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी— केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्री हिम्मत आत्मज श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी— केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्री सत्यनारायण आत्मज श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी— केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. लाली पुत्री श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी— केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. संतोक पुत्री श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी— केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. मूली पुत्री श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी— केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. रेखा पुत्री श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी— केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. चिकू पुत्री श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी— केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. श्रीमती लादी पत्नी श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी— केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. श्रीमती सारी पुत्री चतुर्भज जी पत्नी गंगाराम जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी— केरिया हाल पारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज0)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय, माण्डल

——प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0

उपस्थित :—

श्री राकेश जैन ——एडवोकेट वादीया

श्री शोभागमल कुमावत, एडवोकेट ——— एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 01 से 09

:: निर्णय :: दिनांक 20 / 06 / 2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया श्रीमती चांदी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,92—(क), 188 आर.टि.एक्ट के तहत सरहद केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 2228, 2234,

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2340 कुल किता 08 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा के संबध मे पेश किया, जिसे प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये, जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का इस आशय का पेश किया कि वादीया चांदी ने चतुर्भज जी कुमावत की पुत्री होने बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किये है व मामले मे चतुर्भुज कुमावत पुत्र श्री भूरा कुमावत की मृत्यु वर्ष 2005 से पूर्व हो चुकी है। वर्ष 2005 से पहले विवाहित पुत्रीयो को कोई हक अधिकार पिता की सम्पति मे प्राप्त नही होता है। इस कारण से वादीया को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होता है व वादीया का वादपत्र प्रथम दृष्टया पोषणीय नही होकर वादीया का वांदपत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत सव्यय खारीज होने योग्य है।

इस पर वादीया द्वारा प्रार्थनापत्र का जवाब पेश नही कर सीधे बहस करना चाही व बहस पक्षकारान सुनी गयी।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभय पक्षो की बहस पर मनन किया गया। वादीया के पिता चतुर्भज पुत्र श्री भूरा जी का देहान्त वादपत्र मे वर्णित वादीया के कथनानुसार दिनांक 16/06/1990 को चुका है , इस प्रकार वादीया के पिता की मृत्यु वर्ष 2005 से पूर्व हो चुका है व वादीया की शादी भी वर्ष 2005 से पूर्व हो चुकी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित निर्णय न्यायिक दृष्टान्त WLC (SC) Civil 2016(1) पेज नं. 31 अनवान प्रकाश चन्द्र व अन्य बनाम फुलवन्ती व अन्य का प्रकरण इस विचाराधीन प्रकरण मे भी लागू होता है व साथ ही हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के प्रावधान अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार के सहदायिक की पुत्री को हक दिया गया है जिसका अर्थ है 9.9.2005 को पिता को जीवित रहना चाहिये। यदि प्रारम्भ होने के दिनांक को पिता जीवित नही हो तो पुत्री सहदायिक की पुत्री नही हुई "।

इस प्रकार वादीया जो कि चतुर्भज जी की विवाहिता पुत्री होने से व उसके पिता की मृत्यु वर्ष 2005 से पूर्व हो जाने वादीया को विवादित आराजियात मे कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति मे वादीया वादपत्र के तहत किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है तथा प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 लागू होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को सिद्व कराने मे सफल रहने के कारण वादीया का वादपत्र खारीज किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को सिद्व कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वादीया का वादपत्र प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के तहत खारीज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार डिकी जारी हो।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/06/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :– 30 / 2017 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,92(क) व 188 रा0टि0एक्ट

श्रीमती चांदी पुत्री चतुर्भुज पत्नी बंरदू जी कुमावत आयु वयस्क निवासी– केरिया हाल मुकाम हुणा का खेड़ा (गोरदा) तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज0)

––वादीया

बनाम

1. श्री रतन आत्मज श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्री हिम्मत आत्मज श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्री सत्यनारायण आत्मज श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. लाली पुत्री श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. संतोक पुत्री श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. मूली पुत्री श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. रेखा पुत्री श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. चिकू पुत्री श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. श्रीमती लादी पत्नी श्री हीरा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. श्रीमती सारी पुत्री चतुर्भज जी पत्नी गंगाराम जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– केरिया हाल पारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज0)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय, माण्डल

––प्रतिवादीगण

––––

वादीया की ओर से श्री राकेश जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 की ओर से श्री शोभागमल कुमावत , एडवोकेट की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 20 / 06 / 2019 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि ––और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहितं द्वारा राशि ––- को दी जायें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को सिद्व कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वादीया का वादपत्र प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के तहत खारीज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
माण्डल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 20/06/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
माण्डल जिला भीलवाड़ा